

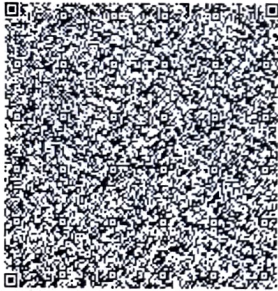


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP03808204595995P
Certificate Issued Date : 06-Nov-2017 03:36 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ ALLAHABAD1/ UP-AHD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0104579137950205P
Purchased by : S AHMAD
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : NAZUL TO CONVERTED FREE HOLD PLOT No.40/2 CIVIL
STATION ALLD.MORE DETAILS AS PER FREE HOLD DEED.
Consideration Price (Rs.) : 2,48,59,104
(Two Crore Forty Eight Lakh Fifty Nine Thousand One Hundred And Four only)
First Party : ADM NAZUL ALLD ON BEHALF OF UP GOVERNOR
Second Party : NAVEEN AGARWAL AND OTHERS
Stamp Duty Paid By : NAVEEN AGARWAL AND OTHERS
Stamp Duty Amount(Rs.) : 17,40,200
(Seventeen Lakh Forty Thousand Two Hundred only)



Please write or type below this line.....

Naveen Agarwal
Nitin Agarwal

Neha Agarwal

(डॉ. चतुर्भुजी गुप्त)
अपर जिलाधिकारी (बजट)
इलाहाबाद

VO 0006811707

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



2



(डॉ० चतुर्भुजी गुप्त)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

All Photo Attached

पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2017 ई० के दिसम्बर माह के २९ वें दिन, तदनुसार शक सम्वत् 1939 के मास के पक्ष के वें दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, (जिनको यहाँ आगे चल कर "विक्रेता" कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा (1) नवीन अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय सन्तोष कुमार अग्रवाल आधार नम्बर 306892848460 मोबाइल नम्बर 8948610000 (2) नितिन अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय सन्तोष कुमार अग्रवाल आधार नम्बर 665402396002 मोबाइल नम्बर 9415310665 व (3) नेहा अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय सन्तोष कुमार अग्रवाल आधार नम्बर 200963295628 मोबाइल नम्बर 9766126941 समस्त निवासीगण मकान नम्बर 14, करियप्पा रोड, न्यू कैन्ट, डाकखाना-प्रधान डाकघर, परगना व तहसील सदर, शहर, इलाहाबाद (जिनको यहाँ आगे चलकर "क्रेतागण" कहा गया है) द्वितीय पक्ष, के मध्य लिखा गया है।

चूँकि दि गर्वनर उत्तर प्रदेश एवं श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी, श्री समीर चन्द्र मुकर्जी, श्री सुहृद चन्द्र मुकर्जी, श्री सुबीर चन्द्र मुकर्जी व श्री सत्येन्द्र चन्द्र मुकर्जी पुत्रगण स्वर्गीय एच० सी० मुकर्जी के मध्य निष्पादित पट्टा-विलेख दिनांक 28.01.1989 ई० जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3134 के पृष्ठ संख्या 27 से 34 पर असल दस्तावेज नम्बर 6828 व मुसन्ना नम्बर 6829 के रूप में सब रजिस्ट्रार चायल, इलाहाबाद के कार्यालय क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(1) नवीन अग्रवाल

Naveen Agarwal

(2) नितिन अग्रवाल

Nitin Agarwal

(3) नेहा अग्रवाल

Neelha Agarwal

(डा० चतुर्भुजी गुप्त)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(डॉ० चतुर्भुजी गुप्त)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

में दिनांक 31.12.1990 ई० को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे 'पट्टा विलेख' कहा गया है और जिसमें दि गर्वनर उत्तर प्रदेश को 'पट्टादाता' एवं श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी, श्री समीर चन्द्र मुकर्जी, श्री सुहृद चन्द्र मुकर्जी, श्री सुबीर चन्द्र मुकर्जी व श्री सत्येन्द्र चन्द्र मुकर्जी पुत्रगण स्वर्गीय एच० सी० मुकर्जी को "पट्टेदारान" कहा गया है) और यह कि उक्त पट्टागत नजूल भूखण्ड संख्या 40, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2 एकड़ 4594 वर्गगज था, का पट्टा श्री सुभाष चन्द्र मुकर्जी, श्री समीर चन्द्र मुकर्जी, श्री सुहृद चन्द्र मुकर्जी, श्री सुबीर चन्द्र मुकर्जी व श्री सत्येन्द्र चन्द्र मुकर्जी पुत्रगण स्वर्गीय एच० सी० मुकर्जी उपरोक्त के पक्षमेंदो 30-30 वर्षीय मध्यवर्ती नवीनीकरण के प्राविधानों के साथ कुल 90 वर्षों के लिये दिनांक 28.01.1989 ई० को दि गर्वनर उत्तर प्रदेश द्वारा निष्पादित किया गया जो दिनांक 02.05.1961 ई० से 30 वर्षों के लिये अर्थात् दिनांक 01.05.1991 ई० तक प्रभावी था। पट्टे की अवधि दिनांक 02.05.1961 ई० को समाप्त होने पर नजूल भूखण्ड संख्या 40, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 4594 वर्गगज का नवीनीकरण पट्टा-विलेख राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा श्री सुहृद चन्द्र मुकर्जी, श्री सुबीर चन्द्र मुकर्जी व श्री सत्येन्द्र चन्द्र मुकर्जी पुत्रगण स्वर्गीय एच० सी० मुकर्जी, श्रीमती मंजुला मुकर्जी पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर समीर चन्द्र मुकर्जी, श्री संजय मुकर्जी व श्री संदीप मुकर्जी पुत्रगण स्वर्गीय डॉक्टर समीर चन्द्र मुकर्जी, श्रीमती आरती मुकर्जी पत्नी स्वर्गीय सुभाष चन्द्र मुकर्जी, डॉक्टर (श्रीमती) मधुमिता गांगुली, डॉक्टर (श्रीमती) दीपशिखा बनर्जी पुत्रीगण स्वर्गीय सुभाष चन्द्र मुकर्जी व डॉक्टर सर्वजीत मुकर्जी पुत्र स्वर्गीय सुभाष चन्द्र मुकर्जी निवासीगण 7, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इलाहाबाद के पक्ष में निष्पादित किया गया जो दिनांक 02.05.1991 ई० से 30 वर्षों के लिये अर्थात् दिनांक 01.05.2021 ई० तक प्रभावी है। नवीनीकरण पट्टा-विलेख की रजिस्ट्री प्रति पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 940 के पृष्ठ संख्या 213/228 में क्रमसंख्या 327 के रूप में सब रजिस्ट्रार क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(1) नवीन अग्रवाल

Naveen Agarwal

(2) नितिन अग्रवाल

Nitin Agarwal

(3) नेहा अग्रवाल

Neha Agarwal

(डा० चतुर्भुज गुप्त)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत
(डा० चतुर्भुज गुप्त)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

चायल, इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 01.02.1997 ई० को हुई है और उपरोक्त पट्टेदारों का नाम पट्टेदार के रूप में नजूल भूखण्ड उपरोक्त पर नजूल सम्पत्ति पंजिका में अंकित है।

तत्पश्चात् पट्टेदारों के अनुरोध पर शासनादेश संख्या 842/9-आ-4-97-145एन/97 दिनांक 20.05.1997 ई० द्वारा नजूल भूखण्ड संख्या 40, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 2 एकड़ 4594 वर्गगज का पाँच भागों में विभाजन कर दिया गया और उक्त विभाजन के अनुसार नजूल भूखण्ड संख्या 40/2, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद जिसका कुल क्षेत्रफल 1684.29 वर्गगज अथवा 1408.23 वर्गमीटर है, के पट्टेदारान श्रीमती मंजुला मुकर्जी पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर समीर चन्द्र मुकर्जी, श्री संजय मुकर्जी व श्री संदीप मुकर्जी पुत्रगण स्वर्गीय डॉक्टर समीर चन्द्र मुकर्जी हुये और उनके नाम नजूल भूखण्ड संख्या 40/2, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 1684.29 वर्गगज अथवा 1408.23 वर्गमीटर पर नजूल सम्पत्ति पंजिका में पट्टेदार के रूप में अंकित चला आ रहा है।

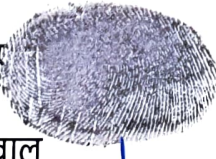
तत्पश्चात् सह पट्टेदार श्रीमती मंजुला मुकर्जी पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर समीर चन्द्र मुकर्जी ने नजूल भूखण्ड व उस पर निर्मित बंगला में अपने समस्त हक व हिस्से की बाबत अपने पुत्र संजय मुकर्जी पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर समीर चन्द्र मुकर्जी के पक्ष में एक मुख्तारनामा रजिस्ट्री शुदा दिनांक 22.12.2007 ई० को तहरीर व तकमील किया जिसकी रजिस्ट्री एडीशनल रजिस्ट्रार ऑफ एसोरेन्स III कोलकाता में दिनांक 22.12.2007 ई० को हुई है।

तत्पश्चात् संजय मुकर्जी पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर समीर चन्द्र मुकर्जी ने स्वयं व बहैसियत मुख्तारआम श्रीमती मंजुला मुकर्जी पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर समीर चन्द्र मुकर्जी व संदीप मुकर्जी पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर समीर चन्द्र मुकर्जी ने नजूल भूखण्ड संख्या 40/2, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद व उस पर निर्मित बंगला नम्बर पुराना 3, नया 5,

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(1) नवीन अग्रवाल

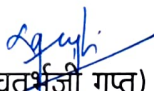

Naveen Agarwal

(2) नितिन अग्रवाल


Nitin Agarwal

(3) नेहा अग्रवाल


Neha Agarwal


(डा० चतुर्भुज गुप्त)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० चतुर्भुज गुप्त)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इलाहाबाद जिसका कुल क्षेत्रफल 1684.29 वर्गगज अथवा 1408.23 वर्गमीटर है, मय ज़मीन व मय तामीरात मय लीज़ होल्ड राइट्स को विक्रय-पत्र रजिस्ट्री शुदा दिनांक 13.03.2008 ई० के माध्यम से संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय नारायण दास अग्रवाल व नितिन अग्रवाल पुत्र श्री संतोष कुमार अग्रवाल निवासीगण मकान नम्बर 14, करियप्पा रोड, न्यू कैन्ट, इलाहाबाद के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया जिसकी रजिस्ट्री बही संख्या 1 जिल्द संख्या 5921 के पृष्ठ संख्या 95 से 274 में क्रमांक 1015 पर दिनांक 13.03.2008 ई० को कार्यालय उपनिबन्धक (प्रथम), इलाहाबाद में हुई है।

तत्पश्चात संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय नारायण दास अग्रवाल व नितिन अग्रवाल पुत्र श्री संतोष कुमार अग्रवाल ने नज़ूल भूखण्ड संख्या 40/2, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 1408.23 वर्गमीटर भूमि को अपने पक्ष में फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 21,29,950/- (रुपये इक्कीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ पचास रुपया मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 495, दिनांक 28.06.2010 ई० द्वारा जमा कर आवेदन पत्र संख्या 3687 दिनांक 29.06.2010 ई० को प्रस्तुत किया। परन्तु दुर्भाग्यवश संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय नारायण दास अग्रवाल का स्वर्गवास दिनांक 18.11.2012 ई० को हो गया और उनकी पत्नी श्रीमती रेखा अग्रवाल का स्वर्गवास उनके जीवनकाल में ही दिनांक 02.07.2007 ई० को हो गया था और स्वर्गीय संतोष कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय नारायण दास अग्रवाल उपरोक्त ने अपने स्वर्गवास पर नवीन अग्रवाल व नितिन अग्रवाल को अपना पुत्रगण व नेहा अग्रवाल को अपनी एकमात्र पुत्री व विधिक उत्तराधिकारी छोड़ा और उपरोक्त के अतिरिक्त उनका कोई वारिसान अथवा उत्तराधिकारी नहीं है। जिसकी पुष्टि कार्यालय तहसीलदार सदर ज़िला, इलाहाबाद द्वारा जारी प्रमाणपत्र संख्या 45313900254 ना०नाजिर-सदर/दिनांक 05.06.2013 पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र से भी होती है कि स्वर्गीय संतोष कुमार क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(1) नवीन अग्रवाल

Naveen Agarwal

(2) नितिन अग्रवाल

Nitin Agarwal

(3) नेहा अग्रवाल

Neelha Agarwal

Agarwal
(डा० चतुर्भुज गुप्त)

अपर ज़िलाधिकारी, (नज़ूल) इलाहाबाद

राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० चतुर्भुज गुप्त)

अपर जिलाधिकारी (नज़ूल)

इलाहाबाद

अग्रवाल के स्वर्गवास के उपरान्त नवीन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल व नेहा अग्रवाल के अतिरिक्त उनका कोई अन्य विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। तत्पश्चात नवीन अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय संतोष कुमार अग्रवाल व नेहा अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय संतोष कुमार अग्रवाल ने अपर जिलाधिकारी नजूल, इलाहाबाद को प्रेषित अपने शपथपत्र दिनांक 23.03.2017 ई० द्वारा यह अनुरोध किया कि उनके पिता 23.03.2017 ई० द्वारा यह अनुरोध किया कि उनके पिता संतोष कुमार अग्रवाल के स्वर्गवास के उपरान्त स्वर्गीय संतोष कुमार अग्रवाल व नितिन अग्रवाल पुत्र श्री संतोष कुमार अग्रवाल द्वारा अपने पक्ष में फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु आवेदित नजूल भूखण्ड उपरोक्त में उनके 1/2 हिस्से का भी फ्रीहोल्ड उनके सगे भ्राता नितिन अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय संतोष कुमार अग्रवाल के पक्ष में कर दिया जावे इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और भविष्य में होगी। परन्तु जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने उक्त प्रेषित शपथपत्र के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त स्वर्गीय संतोष कुमार अग्रवाल के स्वर्गवास के उपरान्त उनके उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में नजूल भूखण्ड उपरोक्त का फ्रीहोल्ड किये जाने की संस्तुति दिनांक 25.03.2017 ई० को प्रदान कर दी। क्रेतागण द्वारा उक्त आवेदित क्षेत्रफल 1408.23 में से महायोजना में सड़क चौड़ीकरण (लाल बहादुर शास्त्री मार्ग) से प्रभावित भूमि क्षेत्रफल 114.89 वर्गमीटर जो संलग्न नक्शे में पीले रंग से प्रदर्शित है जिसका नियमानुसार फ्रीहोल्ड नहीं हो सकता को काटकर शेष भूमि क्षेत्रफल 1293.34 वर्गमीटर भूमि का फ्रीहोल्ड क्रेतागण (नवीन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल व नेहा अग्रवाल) के पक्ष में किया जा रहा है। इस प्रकार "क्रेतागण" पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड, जिसे इस विलेख की अनुसूची में वर्णित किया गया है, के पट्टेदार से पट्टागत भूमि के क्रेतागण हैं।

और चूँकि क्रेतागण ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड जिसके वह क्रेतागण हैं, प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश क्रेता के हस्ताक्षर  विक्रेता

(1) नवीन अग्रवाल

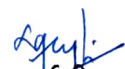


(2) नितिन अग्रवाल



(3) नेहा अग्रवाल




(डा० चतुर्भुजी गुप्त)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत
(डा० चतुर्भुजी गुप्त)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1956/8-4-08-266 एन/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-1171/8-4-09-266 एन/08 दिनांक 26.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1566/8-4-11-137 एन/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एन/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-03/107/8-4-15-137 एन/15 दिनांक 15.01.2015 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्रीहोल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूँकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक

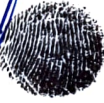
1-12-1998 एवं शासनादेश संख्या-1956/8-4-08-266 एन/08 दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या-1171/8-4-09-266 एन/08 दिनांक 26.05.2009 एवं शासनादेश संख्या-1566/8-4-11-137 एन/04 दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या-01/416/8-4-14-137 एन/2013 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या-03/107/8-4-15-137 एन/15 दिनांक 15.01.2015 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 21,29,950/- (रुपये इक्कीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ पचास रुपया मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 495, दिनांक 28.06.2010 ई० तथा दिनांक 05.10.2017 को निर्गत मांग पत्र संख्या 50/नजूल-(एस.एन.सी. XXI-8/3687/2010(फ्रीहोल्ड)/2017-2018 द्वारा अपेक्षित धनराशि रुपये 2,27,29,154/- दिनांक 05.10.2017 को निर्गत मांग पत्र संख्या 50/नजूल-(एस.एन.सी. XXI-8/3687/2010(फ्रीहोल्ड)/2017-2018 द्वारा अपेक्षित धनराशि रुपये 2,27,29,154/- (रुपये दो करोड़ सत्ताइस लाख उन्तीस हजार एक सौ चौवन मात्र) ट्रेजरी चालान क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(1) नवीन अग्रवाल

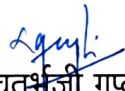

Navin Agarwal

(2) नितिन अग्रवाल


Nitin Agarwal

(3) नेहा अग्रवाल


Neha Agarwal


(डा० चतुर्भुजी गुप्त)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० चतुर्भुजी गुप्त)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

संख्या A-110001 दिनांक 09.10.2017 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण आकलित निर्धारित मूल्य रुपये 2,48,59,104/- (रुपये दो करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार एक सौ चार रुपया मात्र) क्रेतागण से प्राप्त करके जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट 1895 (सन् 1895 ई० का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेतागण के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेतागण द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रुपये 2,48,59,104/- (रुपये दो करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार एक सौ चार रुपया मात्र) जिला-इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है), के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेतागण पालन करेंगे, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट आवासीय भू-उपयोग के निमित्त फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेतागण, उसके दाय्याधिकारी तथा समुनिदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(1) नवीन अग्रवाल

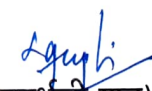

Naveen Agarwal

(2) नितिन अग्रवाल


Nitin Agarwal

(3) नेहा अग्रवाल


Neha Agarwal


(डा० चतुर्भुज गुप्त)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० चतुर्भुज गुप्त)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करें और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करें का भुगतान क्रेतागण करेंगे।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेतागण वहन करेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "विक्रेता" और "क्रेतागण" के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, "विक्रेता" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समुनिदेशिती का तथा "क्रेतागण" में उसके दाय्याधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समुनिदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेतागण और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

क्रेता के हस्ताक्षर

(1) नवीन अग्रवाल


Naveen Agarwal

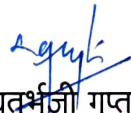
(2) नितिन अग्रवाल


Nitin Agarwal

(3) नेहा अग्रवाल


Neha Agarwal

विक्रेता


(डा० चतुर्भुजी गुप्त)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत
(डा० चतुर्भुजी गुप्त)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

इसमें अभिविष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नजूल से परिवर्तित फ्रीहोल्ड भूखण्ड संख्या 40/2, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 1293.34 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, तहसील सदर, शहर इलाहाबाद जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है और जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

चौहद्दी :-

पूरब - साईट नम्बर 40/5, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद।

पश्चिम - साईट नम्बर 40/1, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद।

उत्तर - मास्टर प्लान में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित भूमि तत्पश्चात लाल बहादुर शास्त्री मार्ग (एलगिन रोड), इलाहाबाद। बहादुर शास्त्री मार्ग (एलगिन रोड), इलाहाबाद।

दक्षिण - साईट नम्बर 40/3, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद।

फ्रीहोल्ड के लिये क्रेता ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 21,29,950/- (रुपये इक्कीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ पचास रुपया मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 495, दिनांक 28.06.2010 ई० द्वारा व पूर्व में जमा की गई तथा निर्गत मांग पत्र की धनराशि रुपये 2,27,29,154/- (रुपये दो करोड़ सत्ताइस लाख उन्तीस हजार एक सौ चौवन मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या A-110001 दिनांक 09.10.2017 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण मूल्य रुपये 2,48,59,104/- (रुपये दो करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार एक सौ चार रुपया मात्र) जमा कर दिया है।

क्रेता के हस्ताक्षर

(1) नवीन अग्रवाल

Naveen Agarwal

(2) नितिन अग्रवाल

Nitin Agarwal

(3) नेहा अग्रवाल

Neha Agarwal

विक्रेता

(डा० चतुर्भुजी गुप्त)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० चतुर्भुजी गुप्त)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इल.ह.व.द.

इस फ्रीहोल्ड-विलेख में मुबलिग 17,40,200/- रुपया ज़रिये E-Stamp जिसका सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP03808204595995P सीरियल नम्बर VO 0006811707 है, के द्वारा अदा कर दी गई है।



1. साक्षी का हस्ताक्षर
Manish Agarwal
S/o S.C Agarwal
14, Cariappa Road
Aadhaar No- 643909870475

जिलाधिकारी, इलाहाबाद महोदय के आदेश दिनांक 28.09.2017 ई० के क्रम में कार्यालय में उपलब्ध मूल पत्रावली से डीड का मिलान किया गया जो आदेश दिनांक 28.09.2017 ई० के अनुरूप है।

1. साक्षी का हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....
क. स. जिला

2. साक्षी का हस्ताक्षर

Arinash Jainwal S/o Prem Jainwal
A/o H-7 Old Karna Palla.
Voter ID - YVU1404888 Arinash



2. साक्षी का हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....
क. स. जिला

क्रेता के हस्ताक्षर

(1) नवीन अग्रवाल

Naveen Agarwal

(2) नितिन अग्रवाल

Nitin Agarwal

(3) नेहा अग्रवाल

Neha Agarwal

विक्रेता

(डा० चतुर्भुज गुप्त)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल 30 प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(डा० चतुर्भुज गुप्त)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

- (1) नवीन अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय सन्तोष कुमार अग्रवाल
 - (2) नितिन अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय सन्तोष कुमार अग्रवाल व
 - (3) नेहा अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय सन्तोष कुमार अग्रवाल
- समस्त निवासीगण मकान नम्बर 14, करियप्पा रोड, न्यू कैन्ट,
डाकखाना-प्रधान डाकघर, परगना व तहसील सदर, शहर, इलाहाबाद

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9838 के पृष्ठ 97 से 120 तक क्रमांक
62 पर दिनांक 04/01/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

1611

हसनैन अहमद

उप निबंधक : सदर मजिस्ट्रेट

इलाहाबाद

